जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

पत्रांक:- BRLPS/Proj-M&E/1552/19/882 दिनांक:-13.06.22

कार्यालय आदेश

" मिशन स्वावलंबन " (15 जून से 15 अगस्त 2022)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की स्वीकृति वर्ष 2024 तक के लिए की गयी है।

योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1.50 लाख परिवारों का चयन किया गया है। लक्षित परिवारों को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त करने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाना है। इस क्रम में दिनांक-**15 जून से 15 अगस्त 2022** तक एक विशेष अभियान " **मिशन स्वावलंबन** " की शुरुआत की जा रही है।

" मिशन स्वावलंबन " –रूपरेखा

लक्षित परिवारों का चयन	जीविकोपार्जन निवेश निधि का हस्तांतरण	मास्टर संसाधन सेवी SJY-MRP का चयन	सरकारी योजनाओं से जुड़ाव एवं अभिसरण
1. नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े योग्य परिवारों का योजना से जुड़ाव	1. विशेष निवेश निधि का हस्तांतरण 2. सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र तैयार किया जाना 3. जीविकोपार्जन अंतराल निधि का हस्तांतरण 4. उत्पादक संपत्ति का हस्तांतरण 5. उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाना	1. एम.आर.पी. का चयन 2. SJY एम.आई.एस. में एम.आर.पी. प्रोफाइल की प्रविष्टि एवं रोस्टर निर्माण	1. सूक्ष्म बीमा 2. जन वितरण प्रणाली (PDS) 3. आयुष्मान भारत योजना 4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 5. स्वच्छ पेयजल (नल का जल योजना)

A . लक्षित परिवारों का चयन

1.नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव (15 से 20 जून 2022 तक)

नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े योग्य परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयन करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या-BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/19691 दिनांक-13-03-2022 के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी प्रखंडों में कार्यालय आदेश के अनुरूप अनुपालन कराते हुये इस कार्य को 20 जून 2022 तक पूर्ण कर लिया जाये।

B. जीविकोपार्जन निवेश निधि का हस्तांतरण

1. विशेष निवेश निधि का हस्तांतरण

विशेष निवेश निधि(Special Investment Fund) : ग्राम संगठन के द्वारा सभी चयनित परिवारों को विशेष निवेश निधि के तहत 10,000/-(दस हजार रुपए प्रति परिवार) की राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। (कार्यालय आदेश:BRLPS/Proj-M&E/1373/18/Vol-II/3667 दिनांक-05/12/2019 के अनुरूप)

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा तैयारी

योजना अंतर्गत चयनित लक्षित परिवारों का विशेष निवेश निधि का आवेदन तैयार तथा इसपर संबन्धित ग्राम संगठन से अनुमोदन प्राप्त कराकर बी.पी.आई.यू स्तर पर जमा कर लिया जाये तथा प्रपत्रों को दिनांक-21 जून 2022 तक डी.पी.सी.यू. कार्यालय में जमा करवा दिया जाये ।

जिला परियोजना समवन्यन इकाई द्वारा तैयारी

डी.पी.सी.यू द्वारा संबन्धित ग्राम संगठनों में विशेष निवेश निधि हस्तांतरण के कार्य को प्राथमिकता देते हुए 25 जून 2022 तक सुनिश्चित किया जाये ।

प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों को विशेष निवेश निधि का हस्तांतरण ससमय करने हेतु ग्राम संगठनों में नियमित/विशेष बैठक आयोजित करके 30 जून 2022 तक चयनित परिवारों को विशेष निवेश निधि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।

2. जीविकोपार्जन अन्तराल निधि एवं उत्पादक संपत्ति का हस्तांतरण

क) सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों का सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र तैयार किया जाना है । जीविका प्रखंड परियोजना प्रबन्धक द्वारा सप्ताह में दो दिन LCM का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सभी तैयार सूक्ष्म नियोजन प्रपत्रों का आकलन तथा उनका अनुमोदन किया जाएगा ।
बी.पी.आई.यू. द्वारा सूक्ष्म नियोजन के प्रपत्रों तथा आवश्यक दस्तावेजों का मूल्यांकन करके **प्रत्येक शुक्रवार को** डी.पी.सी.यू कार्यालय में जमा करवाया जायेगा ।

ख) लक्षित परिवार को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक ग्राम संगठन के माध्यम से जीविकोपार्जन अंतराल निधि दिये जाने का प्रावधान है ।योजना के तहत ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को अनुमोदन के 7 महीने तक प्रति माह 1000/-(एक हज़ार रुपये मात्र) की राशि दी जानी है ।

30 जुलाई 2022 तक संबन्धित ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त जीविकोपार्जन अंतराल राशि को संबन्धित परिवारों को राशि दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करवा दी जाये । (कार्यालय आदेश संख्या- BRLPS/Proj-M&E/SLY/1373/18/1399 दिनांक- 25-07-2018 के अनुरूप)

ग) लक्षित परिवार को सतत् जीविकोपार्जन के विभिन्न अवसर उत्पन्न करने के लिए परियोजना द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से उत्पादक संपत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है । यह सहायता चयनित परिवारों के सूक्ष्म नियोजन मे जीविकोपार्जन की चिन्हित गतिविधियों के लिए प्रदान किया जा रहा है ।

30 जुलाई 2022 तक सभी योग्य परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि (प्रथम किस्त) के तहत उत्पादक संपत्ति उपलब्ध कराने हेतु सभी ग्राम संगठन द्वारा नियमित/विशेष बैठक कराकर ग्राम संगठन की खरीददारी समिति के सदस्यों के सहयोग से संबन्धित परिवार को उत्पादक संपत्ति(Productive Assets) उपलब्ध करवा दी जाये ।

घ) जीविकोपार्जन निवेश निधि (द्वितीय किस्त) का हस्तांतरण : सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित परिवारों के आजीविका गतिविधियों के विस्तार तथा विविधीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किस्त (एल.आई.एफ.-II) दिया जाना है । जिला नोडल-एस.जे.वाई. द्वारा प्रखंड परियोजना प्रबन्धक के सहयोग से योग्य परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि (द्वितीय किस्त) का हस्तांतरण दिशा निर्देशों के अनुसार 30 जुलाई 2022 तक सुनिश्चित किया जाएगा । (कार्यालय आदेश संख्या- BRLPS/Proj-M&E/1551/19/2529 दिनांक -02-12-2020 के अनुरूप)

3. उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाना

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत बी.पी.आई.यू. द्वारा ग्राम संगठनों के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि (जीविकोपार्जन निवेश एवं अंतराल राशि तथा विशेष निवेश निधि) का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाना है । बी.पी.एम. द्वारा प्रखंड इकाई के सभी कर्मियों के सहयोग से उपयोगिता प्रमाण पत्र को 07 अगस्त 2022 तक जिला कार्यालय में उपयुर्क्त प्रपत्र में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाएगा । जिला इकाई में कार्यरत वित् प्रबन्धक प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों को जांचोपरांत 15 अगस्त 2022 तक Tally में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे । (कार्यालय आदेश संख्या : BRLPS/Proj-M&E/1551/19/5244 दिनांक- 21-03-2020 के अनुरूप)

C . मास्टर संसाधन सेवी SJY-MRP का चयन (30 जुलाई 2022 तक)

क) मास्टर संसाधन सेवी का चयन

योजना के विभिन्न अवयवों के क्रियान्वयन में मास्टर संसाधन सेवी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा गृह भ्रमण तथा विभिन्न बैठकें/प्रशिक्षणों का आयोजन कर लक्षित परिवारों में ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जाता है । यह आवश्यक है कि सभी प्रखंडों में चयनित परिवारों के संख्या के अनुरूप (प्रति 30-35 परिवारों पर) एमआरपी के चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2022 तथा पुर कर ली जाये ।

(सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत एम.आर.पी के चयन की प्रक्रिया पूर्व से जारी कार्यालय आदेश संख्या-BRLPS/Proj-M&E/1373/18/ 21981 दिनांक-17/04/2022 के अनुरूप)

ख) एम.आई.एस. में एम.आर.पी. प्रोफाइल की प्रविष्टि एवं रोस्टर निर्माण

जिला नोडल-एस.जे.वाई. द्वारा नव चयनित एम.आर.पी के व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल की एम.आई.एस. में प्रविष्टि तथा उनके साथ लक्षित परिवारों का जुड़ाव कर रोस्टर निर्माण का कार्य 30 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर लिया जाना है ।

D. लक्षित परिवारों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव एवं अभिसरण (15 जून से 15 जुलाई 2022 तक)

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित लक्षित परिवारों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव किया जाना है । इस कार्य हेतु प्रखंड परियोजना प्रबन्धक द्वारा ग्राम पंचायतों तथा संबन्धित विभागों से सहयोग लिया जाएगा तथा संबन्धित विभागों के सहयोग से **संकुल संघ स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन** भी किया जाये । जीविका जिला इकाई द्वारा योजना अंतर्गत चयनित योग्य परिवारों का निम्न योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित करवाया जाना है :

1. <u>सूक्ष्म बीमा</u> (PMJJBY & PMSBY)

   सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित योग्य परिवारों के सूक्ष्म बीमा(PMJJBY & PMSBY) से जुड़ाव हेतु भारत सरकार तथा जीविका द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों के माध्यम से सभी योग्य परिवारों का सूक्ष्म बीमा से जुड़ाव सुनिश्चित किया जायेगा ।

2. <u>जन वितरण प्रणाली</u> (PDS)

   सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत अच्छादित छूटे हुए योग्य परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाना है । इसके लिए संबन्धित प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा लक्षित परिवारों का आवेदन तैयार करवाकर RTPS काउंटर पर जमा करवाया जायेगा तहा इसकी सूची जीविका जिला इकाई से साझा किया जाएगा।

3. <u>आयुष्मान भारत योजना</u>

   सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ाव करवाया जाना है । इसके लिए जीविका प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक, संबन्धित जिला नोडल आफिसर (आयुष्मान भारत योजना) से बेहतर समनव्य स्थापित करते हुये योजना से छूटे हुये परिवारों का आयुष्मान भारत अभियान से जुड़ाव हेतु पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर करवाना योजना से जुड़ाव सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही लक्षित परिवारों की सूची जीविका जिला इकाई से साझा करेंगे ।

4. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)</u>

   सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित परिवारों में से योग्य परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ाव करवाया जाना है । इस कार्य हेतु सभी प्रखंडों में लक्षित योग्य परिवारों की सूची जीविका प्रखंड परियोजना प्रबन्धक के निगरानी में तैयार की जाएगी तथा सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय एवं जीविका जिला इकाई से अग्रेतर कार्यवाई हेतु साझा किया जाएगा ।

5. <u>स्वच्छ पेयजल (नल का जल योजना से जुड़ाव)</u>

   सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित सभी परिवारों के घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है । इस कार्य हेतु जीविका प्रखंड इकाई में कार्यरत कर्मियों द्वारा वैसे परिवारों की सूची तैयार की जाएगी जिनके घरों में स्वच्छ पेयजल (नल का जल योजना) की उपलब्धता नही है । जीविका प्रखंड परियोजना प्रबन्धक द्वारा तैयार सूची को अग्रेतर कार्यवाई हेतु संबन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय एवं जीविका जिला इकाई से साझा की जाएगी ।

उपयुर्क्त सभी योजनाओं से संबन्धित लक्षित परिवारों की सूची प्रखंड परियोजना प्रबन्धक (जीविका) जिला कार्यालय के साथ साझा करेंगे ।जिला परियोजना प्रबन्धक (जीविका) द्वारा सूची एसडीओ तथा जिलाधिकारी के साथ साझा की जाएगी ।

E. मिशन स्वावलंबन के दौरान होने वाले व्यय और बजटीय प्रावधान :

क्रम	विवरण	इकाई	अभियुक्ति
1.	मिशन हेतु परियोजना कर्मियों का उन्मुखीकरण	जिला/ प्रखंड स्तर पर	गैर आवासीय प्रशिक्षण बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।
2.	प्रिंटिंग स्टेशनरी	सूक्ष्म नियोजन/विशेष निवेश निधि /अन्य आवश्यक दस्तावेज़	बी.पी.आई.यू. के पास प्रिंटिंग / फॉर्मेट के फोटो कॉपी और स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त रु 5000/- की राशि तथा डी.पी.सी.यू. के पास अतिरिक्त रु 10000/- की राशि का प्रावधान होगा । इस व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत दर्ज किया जाएगा ।
3.	मिशन अवधि के दौरान वाहन उपलब्धता	15 जून से 15 अगस्त 2022 तक प्रति प्रखंड तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त 15 दिनों के लिए वाहन की उपलब्धता	कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/197/10/1775 दिनांक: 18.8.2018 में उल्लिखित इकाई लागत के अनुसार इस व्यय को एस.जे.वाई. हेड में बुक किया जाएगा ।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चलाये जाने वाले विशेष अभियान **"मिशन स्वावलंबन "** के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि जीविका प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा पूर्व में संचालित सफल अभियानों की तरह इस अभियान का भी संचालन किया जाये । सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों/प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक सोमवार को प्रखंड इकाई के कर्मियों द्वारा 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे एवं बैठक का कार्यवाही राज्य इकाई से साझा करेंगे । राज्य इकाई द्वारा प्रत्येक मंगलवार को जिला इकाई के साथ बैठक करके अभियान का अनुश्रवण किया जाएगा ।

प्रतिलिपि- सभी परियोजना कर्मी

विश्वासभाजन

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

ज्ञापांक 882 दिनांक : 13.06.2022

प्रतिलिपि- सचिव-ग्रामीण विकास विभाग,बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

ज्ञापांक 882 दिनांक : 13.06.2022

प्रतिलिपि- सभी संबन्धित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

13.6.22

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार